फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री गोपाल कंसारा पिता स्व. उदयलाल निवासी देवगढ़ मदारिया, जिला राजसमन्द

— अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ़ — रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार **पत्रावली संख्या** 10/2020

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 11.08.2020 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ व लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ के द्वारा जरिये पत्रांकः– उपदे/सूचना/2020/1107 दिनांक 24.07.2020 से रिपोर्ट प्रेषित की गई। आवेदन पत्र में चाही गई बिन्दुवार सूचना तहसील कार्यालय देवगढ से संबंधित होने से तहसील देवगढ के पत्र क्रमांक सूचना/2020/19–20 दिनांक 07.02.2020 द्वारा आवेदक को जरीये रजिस्टर्ड एडी उपलब्ध करायी गयी हैं। उपरोक्त पत्रांक से आवेदक के संतुष्ट नही होने से आवेदक द्वारा श्रीमान के समक्ष प्रथम अपील पेश की गई। उक्त अपील के जवाब में तहसीलदार देवगढ द्वारा जरिये पत्रांक 44–45 दिनांक 16.07.2020 द्वारा पेश किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ़ के द्वारा जरिये पत्रांकः– अपील सं 10/सूचना/2020/44–45 दिनांक 16.07.2020 की रिपोर्टानुसार आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में 08 बिन्दुओं में सूचना मांगी गई जो इस कार्यालय में उपलब्ध रेकार्ड एवं संधारित सूचना के आधार पर इस कार्यालय के पत्रांक सू0अ0/2020/19–20 दिनांक 07.02.2020 द्वारा ज़रीये रजिस्टर्ड सूचना भेजी गई। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ व लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ की रिपोर्टानुसार कार्यालय में उपलब्ध रेकार्ड एवं संधारित सूचना के आधार पर चाही गई वांछित सूचना जरिये पत्रांक सू0अ0/2020/19–20 दिनांक 07.02.2020 द्वारा जरीये रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जाने से अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ व लोक सूचना	

	अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ एवं अपीलार्थी को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमन्द**	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)